भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2006
दिनांक 03.03.2020/ 13 फाल्गुन, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं न्यायालयिक विज्ञान

2006. श्री संजय भाटियाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का करनाल, हरियाणा सहित देश में राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं न्यायालयिक विज्ञान संस्थान की स्थापना का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश में ऐसे संस्थानों का ब्यौरा क्या है और इन संस्थानों में कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और कितने लोगों को रोजगार मिला है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) और (ख): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित एक संस्थान, लोक नायक जय प्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं न्यायालयिक विज्ञान संस्थान, रोहिणी, दिल्ली में कार्यशील है। संस्थान अन्य बातों के साथ-साथ, सेवारत कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा एमए (अपराध विज्ञान) और एमएससी (न्यायालयिक विज्ञान) पर पाठ्यक्रम भी संचालित करता है।

वर्ष 2018-19 में कुल 2518 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019 में एमए (अपराध विज्ञान) और एमएससी (न्यायालयिक विज्ञान) में कुल 47 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 41 ने कैंपस प्लेसमेंट में हिस्सा लिया और 20 अभ्यर्थियों ने रोजगार प्राप्त किया।

इसके अलावा, संस्थान ने शैक्षणिक सत्र 2019-2020 से सुरक्षा प्रबंधन; विक्टिमोलॉजी एवं पीडित सहायता; तथा साइबर अपराध की जांच, फॉरेंसिक एकाउटिंग एवं विधि पर एक वर्ष की अवधि वाले 3 स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी संचालित किये हैं।

*****